उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयँ द्वारा स्थापित मापमान

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

विषय सूची

क 0	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	सिंचाई विभाग के क्रिया कलाप (एक्टिविटीज)	191
2	सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का सिटीजन चार्टर	192
3	Schedule of Testing Charges at Irrigation Research Institute, Roorkee	205

मैनुअल – 4

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

उत्तराख्ण्ड सिंचाई विभाग में विभिन्न प्रकार के निम्न क्रिया कलाप (एक्टिविटीज) हैं–

1. प्रदेश के जल संसाधनों का उपयोग, जिसमें नहरों व नलकूपों से सिंचाई सम्मिलित है। (सिंचाई नहरों एवं नलकूपों का निर्माण एवं रखरखाव)

2. सिंचाई कार्यों का नियोजन, निर्माण एवं रखरखाव जिसमें बांध, नदी, पुश्तें, नदियों के ट्रेनिंग कार्य, पम्पिंग तथा लिफ्ट नहरें सम्मिलित हैं।

3. जल विद्युत का विकास जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं का नियोजन, निर्माण तथा रखरखाव सम्मिलित हैं।

4. बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ बचाव कार्य

5. जल विद्युत परियेाजनाओं के जल संयत्रों का फैब्रिकेशन तथा लगाना।

6. सिंचाई राजस्व का निर्धारण।

7. परिकल्प एवं शोध के कार्य।

8. अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

उपरोक्त समस्त क्रियाकलाप (ऐक्टिविटीज) सिंचाई विभाग में बहुत पूर्व से स्थापित मानकों/नियमों के अनुसार कराये जाते हैं। सिंचाई विभाग का आरंभ उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था।

क्रम संख्या 1,2,3,4 व 5 के क्रिया कलाप, भारतीय मानक ब्यूरों के कोड, सिंचाई विभाग की विशिष्टियां तथा तकनीकी पुस्तकें व जर्नल्स आदि में स्थापित मानकों के अनुसार कराये जाते हैं।

क्रम संख्या–6 पर अंकित क्रिया कलाप, कैनाल एण्ड ड्रेनेज अधिनियम 1873, नलकूप अधिकनयम 1936, आई0एम0ओ0 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में स्थापित मानकों के अनुसार कराये जाते हैं।

क्रम सं0–7 पर अंकित क्रिया कलाप भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित कोड, प्राविधिक पुस्तकें, जर्नल्स, प्राविधिक प्रकाशन आदि मे तय मानकों के अनुसार कराये जाते हैं।

क्रम सं0–8 पर अंकित क्रियाकलाप संबंधित शासनादेशों में स्थापित मानकों के अनुसार कराये जाते हैं।

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का सिटीजन चार्टर

उत्तराखण्ड शासन

देहरादून

जुलाई 2007

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड का ध्येय

उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को सिंचन के लिये जल उपलब्ध कराना एवं ऊर्जा के लिये विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का जानपद यांत्रिकी संबंधी प्रबन्धन।

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के मुख्य उद्देश्य

- नहरों एवं गूलों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य।
- नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं रखरखाव कार्य।
- बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का निर्माण एवं रखरखाव कार्य।
- जलविद्युत परियोजनाओं के अनुसंधान एवं नियोजन, निर्माण एवं रखरखाव कार्य।
- जल संसाधन एवं जलविद्युत संरचनाओं के परिकल्पन एवं शोध संबंधी कार्य।
- जल संसाधन एवं जलविद्युत परियोजनाओं के हाइड्रोमैकेनिकल संयंत्रों का फैब्रिकेशन एवं इरैक्शन कार्य।
- अभियन्ताओं के लिये प्रशिक्षण एवं प्रत्यास्मरण कार्यक्रम का आयोजन।

सिटीजन चार्टर

उत्तराखण्ड राज्य में सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवा नहरों एवं नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र में कृषकों को विभिन्न फसलों के मानक अनुसार सिंचाई हेतु सस्ती दरों पर जल उपलब्ध कराना है जिससे कृषक अपनी उपज बढाकर खुशहाल हो सकें तथा प्रदेश एवं देश को स्वावलम्बी बना सकें।

1. सेवा का मानक एवं समय सीमा

कृषकों को आसानी एवं समयबद्ध तरीके से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु सबसे पहले प्रत्येक नहर प्रणाली के शीर्ष पर पिछले 10 वर्षों में जल उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम 75 प्रतिशत जल का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार एक समयबद्ध सिंचाई सेवा का अनुमानित कार्यक्रम (रोस्टर) निर्धारित प्रारुप पर प्रणालीवार वर्ष में दो बार (रबी और खरीफ) निर्धारित किया जाता है। इसकी सहमति /अनुमोदन जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, कृषि विभाग एवं समादेश क्षेत्र के अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता के साथ–साथ सिंचाई सलाहकार समिति तथा जनपद सिंचाई बन्धु से लिया जाता है। रोस्टर का अनुमोदन होने के पश्चात ही इसे क्रियान्वयन हेतु छपवाया जाता है।

रोस्टर छपवाने के पश्चात् फसल के शुरु में ही इसको सभी संबंधित सांसदों विधायकों, ब्लाक प्रमुखों एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सभी प्रधानों को भेज दिया जाता है ताकि काश्तकारों को पूरी फसल में उपलब्ध कराये जाने वाले पानी के बारे में जानकारी हो सके और तदनुसार किसान अपनी फसलों को नियोजित कर सकें। इस रोस्टर को खण्ड विकास अधिकारी के दफ्तर, तहसील आदि में भी चस्पॉ किया जाता है तथा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी आदि को भी भेजा जाता है जिससे कि इसका व्यापक प्रसारण हो सके।

सिंचाई के पश्चात सिंचित क्षेत्र को सींचपाल दर्ज करते हैं तथा इसकी पैमाइश अमीन द्वारा की जाती है। अमीन पैमाइश करने से पहले ग्राम पंचायत पर चस्पॉ की जाने वाली नोटिस के माध्यम से कास्तकारों को पैमाइश की जाने वाली तिथि की सूचना देते है। इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को भी दी जाती है ताकि पैमाइश के समय स्थल पर लेखपाल भी उपलब्ध रहे। काश्तकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पैमाइश के समय स्वयं उपस्थित रहें और यदि खेत को दर्ज कराने में कोई भी गलती रही हो तो उसे इंगित करें ताकि उसका निस्तारण उसी समय किया जा सके। पैमाइश के पश्चात काश्तकारों को पर्ची भेजी जाती है जिसमें उनको सिंचाई के बारे में सूचना दी जाती है तथा कृषकों से अपेक्षा की जाती है कि पर्चे में रकबा अथवा जिन्स गलत लिखी हुई हो तो अथवा सिंचाई डाल (लिफ्ट) हुई हो जबकि दर्ज तोड़ (फ्लो) हुई हो या अन्य कोई त्रुटि हो तो उसकी सूचना लिखित रुप से पर्चा मिलने के तीस दिन के अन्दर दें। यदि खेत नहर के पानी से बिल्कुल नहीं सींचा गया है परन्तु सिंचाई शुल्क लगाया गया है तो इसकी सूचना 21 दिनों के अन्दर दें। यह सूचनायें अधिशासी

अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ उपराजस्व अधिकारी/ संबंधित जिलेदार को दी जा सकती है। इनसे भी शिकायतों की जॉच शिकायत प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर की जायेगी तथा तुरन्त इस पर निर्णय लिया जायेगा। इसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी तुरन्त दी जायेगी। पैमाइश के पश्चात जमाबन्दी बनाई जाती है जो रबी में पहली मई और खरीफ में पहली दिसम्बर को तहसील भेजी जाती है जिसकी वसूली तहसील के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि यदि प्रार्थनापत्र सिंचाई की दर घटाने अथवा छूट के लिये है और यदि फसल प्रार्थनापत्र प्राप्त करवाने के 15 दिनों के अन्दर काट दी जाती है तो प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा सकता है।

अतः काश्तकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि कोई एतराज हो तो उसे निर्धारित समय से सक्षम अधिकारी को प्राप्त करायें और समय का पालन करें।

2. सेवा की सुनिश्चितता

सिंचाई विभाग जनता की सेवा में सदैव प्रयत्नशील रहता है। विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारी हर संभव प्रयास करते है कि कृषकों को रोस्टर के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। रोस्टर तैयार करने में यह ध्यान दिया जाता है कि कृषकों को सामान्य स्थिति में कोई परेशानी न हो तथा वह ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के पानी का फायदा उठा सकें। परन्तु प्रकृति के सामान्य व्यवहार के विरुद्ध स्थिति उत्पन्न होने, प्राकृतिक आपदा एवं सिंचाई विभाग के नियंत्रण के परे आकस्मिक स्थितियों में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा रोस्टर में परिवर्तन किया जा सकता है जिसमें अधिक से अधिक जनसंख्या के फायदे को ध्यान में रखते हुए विवेकानुसार निर्णय लिया जाता है। इसकी सूचना काश्तकारों को विभिन्न स्त्रोतों से दी जाती है। इसके साथ ही जनता से भी यह अनुरोध है कि नहरों को काटकर बन्धा लगाकर तथा अवैधानिक तरीके से पानी न लें। इससे न केवल नहर क्षतिग्रस्त होती है बल्कि अन्य काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। इस प्रकार के अवैधानिक तरीकों को प्रयोग करना, नहर पटरियों का दुरुपयोग करना, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुॅचाना नियमानुसार दण्डनीय अपराध है। कृषि विशेषज्ञों ने यह साबित कर दिया है कि फसल में उचित समय से वांछित मात्रा में पानी देने से ही पैदावार अधिकतम होती है। यदि वांछित मात्रा से अधिक पानी अथवा कम पानी दिया जाता है तो उत्पादन में कमी आ जाती है। पानी की उचित मात्रा एवं सही समय के लिये काश्तकार कृषि विभाग से मदद ले सकते है। आवश्यकता से अधिक पानी लेकर काश्तकार न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अन्य काश्तकारों का भी नुकसान करते हैं और इस प्रकार पानी के दुरुपयोग से अनजाने में राष्ट्रीय क्षति हो जाती है।

3. सूचना की आसानी से उपलब्धता – कर्मचारीगण की शिष्टता एवं सहायता

इसका विस्तृत विवरण पैरा–1 में दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रत्येक महीने के द्वितीय मंगलवार को सिंचाई बन्धु की जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित

स्थान पर बैठक होती है। इसी प्रकार महीने के प्रथम मंगलवार को तहसील दिवस आयोजित किया जाता है तथा नलकूप से सिंचाई हेतु ब्लाक सिंचाई बन्धु, (नलकूप) की समिति गठित की गई है जिसकी बैठक माह में दो बार होती है। इन सभी समितियों का विस्तृत विवरण पैरा–4 में दिया गया है।

4. नागरिकों के साथ विचार विमर्श

जनपद में नागरिकों के साथ विचार एवं सुझाव हेतु जिला सिंचाई बन्धु समिति गठित की गयी है। जनपद के समस्त सांसद(लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य) विधायक, ब्लाक प्रमुख, शासन द्वारा नामित एक नागरिक आदि उसके सदस्य होते हैं तथा इस बैठक की अध्यक्षता भी जनप्रतिनिधि करते हैं एवं इस समिति के सचिव जनपद के सिंचाई विभाग के नोडल अधिशासी अभियन्ता होते हैं। इस मीटिंग में जनपद के समस्त अधिकारी (अथवा उनके प्रतिनिधि) जिनका संबंध कृषि एवं सिंचाई से हो, उपस्थित होते हैं जिनसे जनता की समस्याओं की जानकारी ली जाती है तथा आपसी विचार विमर्श से इसका निदान करने की कार्यवाही की जाती है। सामान्यतः जो समस्यायें आती हैं उनका समाधान करने की प्रक्रिया नीचे दी जा रही है।

4.1 जनपद सिंचाई बन्धु

यह बैठक जनपद स्तर पर प्रत्येक महीने के तृतीय शनिवार को होती है। आमतौर पर कृषकों को निम्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा के उपरान्त यथासंभव निराकरण हेतु वांछित कार्यवाही की जाती है :–

क– नहरों की समुचित सफाई का विवरण एवं कार्यक्रम ।
ख– नहरों की कटिंग एवं टेल तक पानी पहुॅचाने की समस्यायें ।
ग– रोस्टर के अनुसार नहरों का चलना।
घ– नहरों के कुलाबों की व्यवस्था संबंधी समस्यायें।
ड– राजकीय नलकूपों के संचालन से संबंधित समस्यायें।
च– नलकूपों की बन्दी की समीक्षा।
छ– सिंचाई शुल्क निर्धारण संबंधी समस्यायें।
ज– कृषकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों का निराकरण।

जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक का कार्यवृत्त एक पंजिका में रखा जाता है। कृषकों की निजी समस्याओं पर विचार विमर्श उपरान्त समाधान हेतु निश्चित तिथि निर्धारित की जाती है। यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक बैठक में उठाई गई समस्याओं पर की गई कार्यवाही की सूचना अगली बैठक में निश्चित रुप से प्रस्तुत की जाये। जिन समस्याओं का समाधान जनपद स्तर पर संभव न हो, उनका विवरण सक्षम अधिकारियों को भेज दिया जाता है ताकि उचित स्तर पर निर्णय देने की कार्यवाही की जा सके।

4.2 तहसील दिवस

जन समस्याओं के निवारण हेतु प्रत्येक जनपद में वहॉ के प्रथम मंगलवार को प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहसील दिवस आयोजित किया जाता है। यह तहसील दिवस एक तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता, क्षेत्र अधिकारी, तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रुप से भाग लेते हैं। उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में सिंचाई विभाग के तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रुप से भाग लेते हैं।

तहसील दिवस में जो भी समस्यायें एवं शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका निस्तारण यथासंभव मौके पर ही किया जाता है। यदि यह संभव न हो तो उसके निस्तारण के लिये एक उपयुक्त समय सुनिश्चित किया जाता है और इस निश्चित समय में इस समस्या के निस्तारण हेतु अधिकारी भी नियुक्त कर दिये जाते हैं। तहसील दिवस में जो मामले प्रस्तुत किये जाते हैं उन सभी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है तथा जिन मामलों में कार्यवाही करने का निश्चित समय दिया गया है उसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाता है ताकि निर्धारित समय में उसके निस्तारण की समीक्षा भलीभॉति की जा सके। मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को किसी भी तहसील में भ्रमण करके तहसील दिवस में सम्मिलित होते हैं।

जन समस्या और शिकायतों के निवारण हेतु प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहता है। प्रत्येक कार्यालय में मुलाकातियों का एक रजिस्टर निर्धारित प्रारुप में रखा जाता है। मुलाकाती की समस्या के संबंध में यथाआवश्यक समुचित निर्देश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय/अधीनस्थ को दिये जाते हैं।

4.3 ब्लाक सिंचाई बन्धु (नलकूप)

प्रदेश में कृषकों को अधिक से अधिक सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने के परिपेक्ष्य में राजकीय नलकूपों से संबंधित समस्याओं का स्थानीय स्तर पर यथासंभव निराकरण करने तथा जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच पारस्परिक सामंजस्य एवं विचार विनिमय के उद्देश्य से शासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सिंचाई बन्धु (नलकूप) का गठन किया गया है। ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) नलकूप, खण्ड विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता (राज्य विद्युत निगम), शासन द्वारा नामित तीन व्यक्ति इसके सदस्य हैं। सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) इसके सचिव हैं। ब्लॉक सिंचाई बन्धु (नलकूप) की बैठक ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में माह में दो बार होती है। बैठक की निश्चित तिथि समय एवं स्थान सदस्य सचिव, अध्यक्ष की सहमति से निर्धारित करते हैं।

ब्लॉक सिंचाई बन्धु (नलकूप) में कृषकों की निम्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा के उपरान्त निराकरण हेतु वांछित कार्यवाही की जाती है :–

क– राजकीय नलकूपों के संचालन में संबंधित समस्यायें।
ख– राजकीय नलकूपों की बन्दी की समीक्षा।
ग– राजकीय नलकूपों की गूलों/ पी.वी.सी. पाइपलाइन की मरम्मत की समीक्षा।
घ– नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र में फसल की बोवाई।
ड– सिंचाई शुल्क निर्धारण संबंधी समस्यायें।
च– राजकीय नलकूपों पर विद्युत आपूर्ति समीक्षा।
छ– कृषकों से प्राप्त अन्य प्रकार की शिकायतों का निराकरण।

ब्लॉक सिंचाई बन्धु (नलकूप) की बैठक का कार्यवृत्त एक पुस्तिका में रखा जाता है। कृषकों की निजी समस्याओं पर विचार विमर्श उपरान्त समाधान हेतु निश्चित तिथि निर्धारित की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक बैठक में उठाई गई समस्याओं पर की गई कार्यवाही की सूचना अगली बैठक में निश्चित रुप से प्रस्तुत की जाये। जिन समस्याओं का समाधान ब्लॉक स्तर पर संभव न हो उनका विवरण संबंधित अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) को भेज दिया जाये ताकि उचित स्तर पर निर्णय लेने की कार्यवाही उनके द्वारा की जा सके। संबंधित अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) प्रत्येक माह में एक विकास खण्ड में ब्लॉक की बैठक में भाग लेते हैं।

4.4 कृषक सेवा केन्द्र

प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक प्रत्येक न्याय पंचायत में निर्धारित स्थान पर किसान सेवा केन्द्र संचालित किये जाते हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य जन सुविधाओं को जनता के द्वार पर उपलब्ध कराना, अन्तर्विभागीय समन्वय, कर्मचारियों की निश्चित उपलब्धता, जनता–परिवादों का निस्तारण, प्रभावी अनुश्रवण करना, जन चेतना में वृद्धि करना है। किसान सेवा केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु एक पर्यवेक्षक, जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी नामित किये जाते हैं। किसान सेवा केन्द्रों पर सिंचाई विभाग के सींचपाल तथा नलकूप मिस्त्री माह के प्रत्येक पहले तथा तीसरे बृहस्पतिवार को पूरे समय उपस्थित रहते हैं। यदि किसी बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो वे उसके बाद आने वाले बृहस्पतिवार की बैठक में भाग लेंगे। सिंचाई विभाग के नलकूप चालक प्रत्येक सप्ताह में निर्धारित दिवस पर प्रातः नौ बजकर तीस मिनट से 12 बजकर तीस मिनट तक अवश्य नलकूप पर रहेंगे ताकि जन साधारण को उनसे सम्पर्क करना हो तो वह नलकूप पर उस समय उपलब्ध हो। प्रत्येक कर्मचारी को किसान सेवा केन्द्र में भाग लेने हेतु एक निश्चित किसान सेवा केन्द्र का निर्धारण उनके नियंत्रक जिला/ तहसील/ खण्ड स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं आदेशों की प्रति संबंधित खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है। किसान सेवा केन्द्र का निर्धारण करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी का कार्यक्षेत्र एक से अधिक न्याय पंचायत में है तो इसे वहीं न्याय पंचायत बैठक में भाग लेने हेतु आवंटित की जाती हैं जिसमें उसके कार्यक्षेत्र का अधिकांश हिस्सा पड़ता हो।

इस केन्द्र में विभागीय कर्मचारी अपने कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति/जनप्रतिनिधि द्वारा मांगी गई सूचना उसे नियमानुसार उपलब्ध कराते हैं तथा जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करते हैं। यदि वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी द्वारा निस्तारण आवश्यक हो तो उसे प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे प्रकरणों को प्रभारी अधिकारी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को निरीक्षण के समय प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा भिजवाते हैं व इसका अंकन अपने रजिस्टर में करते हैं। पाक्षिक रुप से विभिन्न अधिकारियों के पास अनिस्तारित याचिकाओं का विवरण जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी को अनुश्रवणार्थ उपलब्ध कराया जाता है। जनपद/तहसील स्तरीय अधिकारीगण प्रत्येक बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय दौरा करते हुए केन्द्रों का निरीक्षण भी करते हैं तथा टिप्पणी एवं सुझावों का उपलब्ध पंजियों में अंकन करते हैं।

5. सिंचाई दर प्रति हैक्टेयर प्रति जिन्सवार

क्रम सं0	नाम जिन्स	दर प्रति हैक्टेयर दि0 18.09.95 से आज तक	
		तोड़	डाल
1.	गन्ना	474.00	237.00
2.	आलू	356.00	178.00
3.	बाग	212.00	106.00
4.	धान, गेहूँ	73.00	86.00
5.	तरकारी सिंघाड़ा	73.00	86.00
6.	ब्राडकास्ट धान	114.00	57.00
7.	तम्बाकू	212.00	106.00
8.	गेहूँ, जौं मिश्रित फसल	173.00	86.00
9.	कपास	59.00	30.00
10.	चारे की फसलें	41.00	20.00
11.	हरी खाद	30.00	15.00
12.	रबी की अन्य फसलें	114.00	57.00
13.	खरीफ की अन्य फसलें	99.00	49.00

14.	पलेवा	40.00	20.00

6. शिकायतों की प्राप्ति एवं इसकी सूचना देने की सरल और सुविधापूर्ण कार्यविधि और शिकायतों का समयबद्ध निवारण

रोस्टर में सिंचाई संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ–साथ नहर प्रणाली के प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पते, टेलीफोन नं0 इत्यादि दिये जाते हैं ताकि कृषकगण अपनी शिकायतों और समस्याओं के निराकरण हेतु उनसे आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकें।

6.1 काश्तकारों की आमतौर पर शिकायतें

क– खेत न सींचा गया हो लेकिन सिंचाई दर्ज की गई हो।
ख. किसी और जरिये से सींचा गया हो, परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा सींच दर्ज की गई हो।
ग. पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो गई हो।
घ. खेत की सिंचाई पूरी न होकर आंशिक रुप से हुई हो, सिंचाई डाल (लिफ्ट) से हुई हो परन्तु शुल्क तोड़ (फ्लो) का लगा हो।
ड. एक ही खेत को एक से ज्यादा बार दर्ज किया गया हो।
च. खेत में बोई हुई फसल गलत दर्ज की गई हो।
छ. काश्तकार का नाम गलत दर्ज किया गया हो।
ज. गणना करने में गलती हुई हो।
झ. फसल खराब बीज के कारण बर्बाद हुई हो।
त. काश्तकार को पर्ची न मिली हो।
थ. काश्तकार पर तावान गलत लगा हो।
द. काश्तकार को उसके हिस्से का पानी न मिलता हो।
ध. स्वीकृत कुलाबा न लगा हो।
न. रोस्टर के अनुसार नहर न चल रही हो।
प. अन्य विविध।

6.2 शिकायतों के निस्तारण के लिये नामित अधिकारी

काश्तकार अपनी शिकायतें सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता व जिलेदार को दे सकते हैं जिसका निस्तारण निम्न प्रकार होगा :–

(अ) क्रमांक 'क' से 'ख' एवं 'घ' से 'त' तक अंकित शिकायतों का निस्तारण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(ब) क्रमांक 'ग' अधिशासी अभियन्ता द्वारा।

(स) क्रमांक 'थ' के निस्तारण में जिलेदार एवं उसके पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा कास्तकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्थान तथा तारीख की सूचना दी जायेगी। उसके पश्चात निर्णय अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिया जायेगा।

(द) क्रमांक 'द' की शिकायतों के निवारणार्थ अधिशासी अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी द्वारा औसत बन्दी करायेंगे।

(य) क्रमांक 'घ' और 'न' की शिकायतों का अधिशासी अभियन्ता/सम्बन्धितसहायक अभियन्ता/सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता निराकरण करेंगे।

(र) क्रमांक 'म' पर शिकायत की प्रकृति के अनुसार जल्द से जल्द निराकरण किया जायेगा।

6.3 शिकायतों के प्राप्त करने एवं निस्तारण हेतु ग्राम स्तर / ब्लॉक स्तर / तहसील स्तर/ जिला स्तर पर नामित अधिकारी

1.	ग्राम स्तर	सींच पर्यवेक्षक
2.	ब्लॉक स्तर	कनिष्ठ अभियन्ता व जिलेदार
3.	तहसील स्तर	सहायक अभियन्ता
4.	जिला स्तर	अधिशासी अभियन्ता, उपराजस्व अधिकारी

6.4 शिकायतों के निस्तारण हेतु समय सारिणी

शिकायतों को निस्तारित करने हेतु निम्न समय सारिणी होगी।

क. क्रम सं0 'ग' से 'झ' के विरुद्ध काश्तकार द्वारा इस्तगासा पर्चा मिलने के 30 दिन के अन्दर दाखिल हो जाना चाहिये। क्रम स0 'क' व 'ख' के विरुद्ध प्रार्थनापत्र पर्चा मिलने के 21 दिन के अन्दर काश्तकार द्वारा दाखिल हो जाना चाहिये तथा उसका निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिये ।

ख. क्रम सं0 'द' एक सप्ताह में।

ग. क्रम सं0 'थ' कास्तकार को नोटिस देकर जल्द से जल्द निस्तारित की जायेगी।

घ. क्रम सं0 'ध' सामान्यत: तीन महीने में।

ड. क्रम सं0 'न' दो दिन में।

च. क्रम स0 'म' शिकायत की प्रकृति पर निर्भर होगा परन्तु जल्द से जल्द निस्तारण हेतु प्रयास होगा।

6.5 काश्तकारों को सूचना प्राप्ति के अधिकार (यदि ग्राम में समय से उपलब्ध हो)

- सिंचाई की पर्ची मिलना।
- कुलाबा की तामील।

- रोस्टर के विरुद्ध नहर को बन्द करना।
- तावान लगने, ओसराबन्दी की नोटिस।
- सिंचाई आदि के विरुद्ध दिये गये प्रार्थनापत्र का निस्तारण।
- सींच पयवेक्षक द्वारा पैमाइश किये जाने की प्रस्तावित तिथि (ग्राम पंचायत में चस्पॉ की गई नोटिस द्वारा)।
- रोस्टर की सूचना बी0डी0ओ0 तथा ग्राम प्रधान के माध्यम से।

7. नागरिक दलों को शामिल करके कार्य निष्पादन की स्वतंत्र जांच पड़ताल।

वर्तमान प्रणाली के अनुसार कृषकों का सिंचित क्षेत्र, सिंचाई कर लगाने हेतु प्रत्येक फसल में नापा जाता है और शासन द्वारा निर्धारित दरों पर विभिन्न प्रकार की फसलों पर सिंचाई शुल्क निर्धारित किया जाता है। उसकी जमाबन्दी कृषकों से वसूली हेतु सम्बन्धित तहसीलदारों को भेजी जाती है जो निर्धारित राजस्व नियमों के अन्तर्गत सिंचाई कर की वसूली करते हैं। इसके लिये मापी के समय कृषकों का विभाग के सींच पर्यवेक्षक एवं जिलेदार आदि के साथ सहयोग अपेक्षित है एवं मापी के समय उनकी उपस्थिति का आव्हान किया जाता है जिससे यथासम्भव कृषकों के नाम, फसल उसका क्षेत्र एवं सींच कर में त्रुटि न हो, फिर भी यदि कृषकों को कहीं कोई त्रुटि मिलती है तो उसका इस्तगासा (अर्थात शिकायत) विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है और उन पर एक नियमित अवधि में जांच कर निस्तारण किया जाता है। कृषकों की सिंचाई क्षेत्रों की माप एवं अन्य शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था "उत्तर भारत नहर एवं जल विकास अधिनियम 1873" एवं "सिंचाई नियमावली संग्रह" में निहित है। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उसका यथासम्भव पूर्ण रुप से पालन किया जाता है। नागरिकों को उचित सुविधा प्रदान करने हेतु पड़ताल प्रक्रिया निर्धारित है जिससे किसी भी कृषक पर अनावश्यक अथवा गलत महसूल आदि न लगे।

8. कृषकों/जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु सूचना

- कृषकों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई का लाभ मिलने तथा आसानी से व पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक नहर प्रणाली के लिये रबी व खरीफ की फसल हेतु रोस्टर बनाया गया है।

- नहरों को काटना, बन्धा लगाना, अवैधानिक तरीके से पानी लेना, नहर पटरियों का दुरुपयोग करना एवं सरकारी सम्पत्तियों को क्षति पहुंचाना नियमानुसार दण्डनीय अपराध है।

- फसल में उचित समय में वांछित पानी की मात्रा देने से ही पैदावार अधिकतम होती है। यदि वांछित मात्रा से कम अथवा अधिक पानी फसल में दिया जाता है तो पैदावार कम होगी।

- जनपद स्तर पर कृषकों की समस्याओं पर चर्चा करने एवं यथासम्भव निराकरण करने हेतु प्रत्येक महीने के द्वितीय मंगलवार को जनपद सिंचाई बन्धु की बैठक आयोजित होती है।

- जनपद में प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस पर प्राप्त जनसमस्याओं अथवा शिकायतों का यथासम्भव निराकरण मौके पर ही किया जाता है।

- कृषकों को अधिक से अधिक सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने के परिपेक्ष्य में राजकीय नलकूपों से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु ब्लाक स्तर पर ब्लॉक सिंचाई बन्धु की बैठक, ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में प्रत्येक माह में दो बार आयोजित होती है।

MATERIAL TESTING DIVISION-I
IRRIGATION RESEARCH INSTITUTE
ROORKEE

LABORATORIES

Cement & Concrete Lab
Roller Compacted Concrete Lab.

OBJECTIVE

A. Testing of Construction Materials

Cement, Pozzolana, Bricks, brick tiles, Aggregate, Chemical admixtures, RCC pipes etc.

Concrete Mix Design

Roller Compacted Concrete Mix Design

Testing of Concrete

E. Testing of Metals

Reinforcement Bars, High Tension Steel Bars, Welded joints, Rope socket joints etc.

F. Testing of Bridge Bearings in compression

G. Testing of Sheathing Ducts for Prestressed cables.

H. Basic Study on Construction Materials.

IMPORTANT STUDIES PERFORMED

A. Design of Cement Concrete Mixes

1. Lakhwar Dam Project, Dehradun
2. Srinagar Hydroelectric Scheme, Srinagar (Garhwal)
3. Gokul Barrage, Mathura
4. Upper Ganga Canal Modernisation Project (World Bank), Roorkee
   - *(i) Solani Aqueduct*
   - *(ii) Asaf Nagar Regulator*
   - *(iii) Ratmau Aqueduct*
5. Himalayan Institute Hospital Trust, Jolly Grant, Dehradun
6. Baspa Hydro Electric Project Stage-II, Himachal Pradesh
7. Pathari Dam, Jhansi
8. Sardan Bridge, Jammu
9. Ganga Barrage, Kanpur
10. Chambal Lift Scheme, Agra
11. Ponta Weir, Dehradun
12. Tehri Dam Project, Tehri Garhwal

B. Design of Roller Compacted Concrete Mix for Proposed Jamrani Dam

C. Testing of Sheathing Ducts for Prestressed cables for Solani & Ratmau Aqueduct, Roorkee and Gokul Barrage, Mathura

D. A Study on use of Araldite Base Epoxy Resin in the Repair Work of Roller Bucket of Ichari Dam

E. A Basic research Study on "Use of Anti-Erosive Coatings over Concrete & Steel"

IRRIGATION RESEARCH INSTITUTE, ROORKEE
SOILS DIVISION II
RATES FOR CHEMICAL TESTING wef 1.10.98

Sl. No.	Name of test	Unit	Revised Rate for	
			Irrigation Department	Other Govt. Deptt. Corporation Private Institution & Industries on 22% Centage Charges
1	Chemical analysis of Cement (Excluding Alkali content)	Each	2310.00	2820.00
2	Chemical analysis of Cement (including Alkali content)	Each	2980.00	3640.00
3	Chemical analysis of water	Each	1480.00	1810.00
4	Analysis of silt samples for PPM	Each	500.00	610.00
5	Analysis of silt samples for grain size distribution	Each	710.00	870.00

IRRIGATION RESEARCH INSTITUTE, ROORKEE

MATERIAL TESTING DIVISION – I

Schedule of revised testing Charges w.e.f. 01.10.98 in reference of Chief Engineer & Director Letter No. 4394/CE-Design dated 20.8.98

Sl. No.	Name of Test	Unit	Revised rate for (Rs)			
			Irrigation Department	Other Department, Corporations & Private Agencies		Detail Analysis of rates Page No.
				Centage Charges on Item 4	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Physical properties of Cement/ Pozzolana					
i	Standard Consistency	1	410.00	90.00	500.00	2
ii	Setting Time	1	610.00	134.00	744.00	3
iii	Soundness (by Lechatelier method	1	410.00	90.00	500.00	4
iv	Fineness (blains air Permeability method)	1	390.00	86.00	476.00	5
v	Fineness of Pozzolana By sieving	1	455.00	100.00	555.00	6
vi	Specific Gravity	1	445.00	98.00	543.00	7
vii	Compressive Strength	1	1530.00	337.00	1867.00	8
viii	Lime Reactivity of Pozzolana	1	1530.00	337.00	1867.00	9
ix	Complete above {(i),(ii),(iii),(iv),(vi),(vi i)} Physical test of Cement	1	3795.00	835.00	4630.00	
x	Complete above {(i) to (viii)} Physical test of Pozzolana	1	5780.00	1272.00	7052.00	

Sl. No.	Name of Test	Unit	Revised rate for (Rs)			
			Irrigation Department	Other Department, Corporations & Private Agencies		Detail Analysis of rates Page No.
				Centage Charges on Item 4	Total (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
	2. Test for Concrete					
i	Compressive Strength	1	125.00	28.00	153.00	10
ii	Flexural strength	1	170.00	37.00	207.00	11
iii	Permeability (Tiles only)	1	835.00	184.00	1019.00	12
iv	Shrinkage	1	1960.00	431.00	2391.00	13
v	Unit Weight	1	245.00	54.00	299.00	14
vi	Slump Test	1	335.00	74.00	409.00	15
vii	Modulus of elasticity (Cylinders)	1	630.00	139.00	769.00	16
viii	Abrasion by Dorry's Machine	1	465.00	102.00	567.00	17
ix	Testing of Air Entraining Agent(28 days)	1	10215.00	2247.00	12462.0	18
x	Testing of Air Entraining Agent (90 days)	1	13435.00	2956.00	16391.0	19
	3. Concrete Mix Design					
i	Upto 40 mm (28 days basis)	1	11945.00	2628.00	14573.0	20
ii	Upto 40 mm (90 days basis)	1	14700.00	3234.00	17934.0	21
iii	Upto 80 mm (28 days basis)	1	22315.00	4909.00	27224.0	22
iv	Upto 80 mm (90 days basis)	1	27980.00	6156.00	34136.0	23

	4. Physical Properties of Brick Tiles					
i	Water Absorption	1	120.00	26.00	146.00	24
ii	Compressive Strength	1	200.00	44.00	244.00	25
iii	Flexural Strength	1	170.00	37.00	207.00	26
iv	Warpage	1	85.00	19.00	104.00	27
	5. Physical Properties of Bricks					
i	Water Absorption	1	120.00	26.00	146.00	28
ii	Compressive Strength	1	200.00	44.00	244.00	29
iii	Flexural Strength	1	180.00	40.00	220.00	30
iv	Warpage	1	85.00	19.00	104.00	31
	6. Physical Properties of RCC & AC Pipe					
i	Water Absorption	1	410.00	90.00	500.00	32
ii	Three edge bearing test	1	2705.00	595.00	3300.00	33
iii	Transverse Crushing Value	1	150.00	33.00	183.00	34
	7. Test for Metals					
i	Tensile Strength (Plates, Strips, Angle, Tees, Beams, Channels etc.& Plates)	1	490.00	108.00	598.00	35
ii	Impact test	1	545.00	120.00	665.00	36
iii	Hardness test	1	410.00	90.00	500.00	37
iv	Shear Strength	1	275.00	61.00	336.00	38
v	Yield Stress or Proof Stress	1	860.00	189.00	1049.00	39
vi	Percentage Elongation after fracture	1	320.00	70.00	390.00	40

vii	Ultimate Tensile Strength/Weld Strength (up to 25mm dia)	1	365.00	80.00	445.00	41
viii	Ultimate Tensile Strength/Weld Strength (above 25mm to 50mm dia)	1	485.00	107.00	592.00	42
ix	Tensile test for Rope Socket Joint (up to 25mm dia)	1	420.00	92.00	512.00	43
x	Tensile test for Rope Socket Joint (above 25mm to 50mm dia)	1	600.00	132.00	732.00	44
	8. Testing of Bride Bearing in Compression	1	2270.00	499.00	2769.00	45
	9. Calibration					
i	Proving Ring, Load Cells, Jacks(up to 30T capacity)	1	1285.00	283.00	1568.00	46
ii	Proving Ring, Load Cells, Jacks(above 30T capacity)	1	2565.00	564.00	3129.00	47
	10. High Velocity Water Jet Test	Per hr	790.00	174.00	964.00	48
	11. Sand Blast Test	Per hr	750.00	165.00	915.00	49
	12. Non Destructive Test					
i	Compressive Strength of Concrete	1	120.00	26.00	146.00	50
	13. Sheathing Ducts Test					
i	Workability test	1	585.00	129.00	714.00	51
ii	Tension Load test	1	660.00	145.00	805.00	52

iii	Transverse Load Rating test	1	470.00	103.00	573.00	53
iv	Water Loss test	1	585.00	129.00	714.00	54
	14. Calibration of Compressive Testing Machine	1	2200.00	484.00	2684.00	55
	15. Test for Fine Aggregate					
i	Sieve Analysis & FM/ Bulkage for one water Content	1	340.00	75.00	415.00	56
ii	Specific gravity & water absorption	1	340.00	75.00	415.00	57
iii	Unit Weight	1	250.00	55.00	305.00	58
iv	Soundness	1	2105.00	463.00	2568.00	59
v	Silt and Clay content(passing from 75 micron)	1	430.00	95.00	525.00	60
vi	Organic Impurities	1	275.00	61.00	336.00	61
vii	Mortar making paste	1	1325.00	292.00	1617.00	62
viii	Mortar bar expansion	1	2375.00	522.00	2897.00	63
ix	Light Weight Particle	1	405.00	89.00	494.00	64
	16. Test for Coarse Aggregate					
i	Sieve Analysis	1	555.00	122.00	677.00	65
ii	Crushing Value	1	555.00	122.00	677.00	66
iii	Impact value	1	320.00	70.00	390.00	67
iv	Absorption value	1	820.00	180.00	1000.00	68
v	Specific gravity & Water absorption	1	340.00	75.00	415.00	69
vi	Soundness	1	2105.00	463.00	2568.00	70
vii	Unit Weight	1	250.00	55.00	305.00	71
viii	Flakness/Elongation Index	1	385.00	85.00	470.00	72
ix	Light Weight Particle	1	405.00	89.00	494.00	73

x	Mortar bar expansion	1	2375.00	522.00	2897.00	74
	17. Roller Compacted Concrete Mix Design	1	15885.00	3488.00	19343.0	75

IRRIGATION RESEARCH INSTITUTE, ROORKEE

SOIL TESTING DIVISION – I

Schedule of revised testing Charges w.e.f. 01.10.98 in reference of Chief Engineer & Director Letter No. 4394/CE-Design dated 20.8.98

Sl. No.	Name of Test	Reference to IS Code	Revised Rates, Rs.	
			Irrigation Department	Other Department, Corporations & Private Agencies
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Laboratory Tests				
1	Soil Classification	1498		
	Screen Analysis	2720 (Pt IV)	300.00	365.00
	Sieve and hydrometer analysis	2720 (Pt V)	230.00	280.00
	Atterberg Limits	2720 (Pt III)	320.00	390.00
2	Specific Gravity	2720 (Pt II)	225.00	275.00
3	Natural Moisture Content and Density	2720 (Pt II)	185.00	225.00
4	Compaction Test	2720 (Pt VII)	585.00	715.00
5	Maximum and Minimum Density of Cohesion less Soil	2720 (Pt XIV)	160.00	195.00
6	Consolidation Test	2720 (Pt XV)	1735.00	2120.00
7	Swelling Test	2720 (Pt XLI)	1735.00	2120.00
8	Permeability Test	2720 (Pt XVII)	585.00	715.00
9	Free Swell	2720 (Pt XL)	195.00	240.00
10	Direct Shear Test(60X60X20	2720 (Pt		

	mm)	XIII)		
	At MMC/OMC/Dry State		825.00	1010.00
	At Saturation		910.00	1110.00
11	Direct Shear Test (300X300X150 mm)	2720 (Pt XIII)		
	At MMC/OMC/Dry State		1810.00	2210.00
	At Saturation		1990.00	2430.00
12	Unconfined Compression Test	2720 (Pt X)	295.00	360.00
13	Triaxial Shear Test (37.5mm dia X 75mm high)			
(i)	Unconsolidated undrained test without pore pressure measurement	2720 (Pt XI)		
	At OMC/MMC		825.00	1010.00
	At Saturation		910.00	1110.00
(ii)	Unconsolidated undrained test with pore pressure measurement	2720 (Pt XII)		
	At OMC/MMC		1615.00	1970.00
	At Saturation		1775.00	2165.00
(iii)	Consolidated Drained test			
	At OMC/MMC		2020.00	2465.00
	At Saturation		2225.00	2715.00
14	Triaxial Compression Test (100mm dia X 200mm high)			
(i)	Unconsolidated undrained test without pore pressure measurement	2720 (Pt XI)		
	At OMC/MMC		1355.00	1655.00
	At Saturation		1490.00	1820.00
(ii)	Unconsolidated undrained test with pore pressure measurement	2720 (Pt XII)		
	At OMC/MMC		2155.00	2630.00
	At Saturation		2370.00	2890.00

(iii)	Consolidated Drained test			
	At OMC/MMC		2695.00	3290.00
	At Saturation		2965.00	3620.00
15	Triaxial Shear Test (200mm dia X 400mm high)			
(i)	Unconsolidated undrained test without pore pressure measurement	2720 (Pt XI)		
	At OMC/MMC		5040.00	6150.00
	At Saturation		5545.00	6765.00
(ii)	Unconsolidated undrained test with pore pressure measurement	2720 (Pt XII)		
	At OMC/MMC		7425.00	9060.00
	At Saturation		8170.00	9970.00
(iii)	Consolidated Drained test			
	At OMC/MMC		9280.00	11325.00
	At Saturation		10215.00	12465.00
16	Gradation analysis and Classification of Coarse material	1498-1970	1195.00	1460.00
17	Large Size Permeability Test(50 cm dia)		12500.00	15250.00
18	Compressibility and particle breakage Test(50 mm dia)			
19	Crushability			
20	Dispensability Test		1105.00	1350.00
21	Erodibility Test		4000.00	4880.00
22	Calibration			
	Pressure Gauge		290.00	355.00
	Proving Ring		290.00	355.00

	Field Tests			
1	Bearing Capacity			
	Plate Load Test	1883	3875.00	4730.00
	Standard Penetration Test	2131	690.00	845.00
	Undisturbed Sample	8763	690.00	845.00
	Static Cone Penetration Test	4968 (Pt III)	2415.00	2945.00
	Dynamic Cone Penetration Test			
	Without Bentonite Slurry		1235.00	1510.00
	With Bentonite Slurry		1850.00	2260.00
2	Field Permeability Test	5529(Pt I)	1685.00	2055.00
3	Vane Shear Test	4434	530.00	650.00
4	Prototype Load Test(on wells already sunk and plugged)		125000.00	152500.00

Note :

1. The laboratory testing charges are only for the samples received at IRI Roorkee.

2. The field testing charges do not include arrangements for testing at site, collection and packing of samples for which extra payment and facilities shall have to be provided as per estimate i.e. the labour required for boring and conducting SPT etc. shall be provided by the field officers.

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006
सूत्र सं0 3 किसान मित्र
सूत्र सं0–3(ग)क कृषि के लिये सिंचाई सुविधायें – वृहद/माइक्रो सिंचाई

सूत्र से सम्बन्धित माह– मार्च तक वांछित प्रतिशत प्रगति– A-100% B-80% C-60% माह –मार्च 2008

क्र0 सं0	मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			**उत्तरकाशी**					
i	थ्संचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	90.00	12	90	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	90.00	12	90	100%	A	–
2.			**चमोली**					
i	थ्संचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	50.00	–	54	108%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	50.00	–	54	108%	A	–
3.			**टिहरी**					
i	थ्संचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	192.00	82	245	127%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	192.00	82	245	127%	A	–
4.			**देहरादून**					
i	थ्संचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	650.00	186	674	104%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	650.00	186	674	104%	A	–

क्र0 सं0	मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.			**पौड़ी**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	228.00	76	301	132%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	228.00	76	301	132%	A	–
6.			**रूद्रप्रयाग**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	204.00	48	252	123%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	204.00	48	252	123%	A	–
7.			**हरिद्वार**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	2775.00	340	2775	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	2775.00	340	2775	100%	A	–
8.			**गढ़वाल मण्डल**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	4189.00	744	4391	105%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	4189.00	744	4391	105%	A	–

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006
सूत्र सं0 3 किसान मित्र
सूत्र सं0–3(ग)क कृषि के लिये सिंचाई सुविधायें – वृहद/माइक्रो सिंचाई

सूत्र से सम्बन्धित माह– मार्च तक वांछित प्रतिशत प्रगति– **A-100% B-88-% C-60%** **माह –003/2008**

क्र0 सं0	मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.			**अल्मोड़ा**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	159.00	–	159	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	159.00	–	159	100%	A	–
10.			**बागेश्वर**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	111.00	5	111	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	111.00	5	111	100%	A	–
11.			**नैनीताल**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	4359.00	520	4424	101%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	4359.00	520	4424	101%	A	–
12.			**ऊधमसिंह नगर**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	2811.00	754	2705	96%	B	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	2811.00	754	2705	96%	B	–

क्र0 सं0	मद / कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.			**पिथौरागढ़**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	46.00	15	56	122%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	46.00	15	56	122%	A	–
14.			**चम्पावत**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	173.00	95	173	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	173.00	95	173	100%	A	–
15.			**कुमायूँ मण्डल**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	7659.00	1389	7628	100%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	7659.00	1389	7628	100%	A	–
16.			**उत्तराखण्ड राज्य**					
i	सिंचन क्षमता सृजन–राजकीय सिंचाई	हैक्टे0	11848.00	2133	12019	101%	A	–
ii	ड्रिप सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	बौछारी सिंचाई	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
	योग (i+ii+iii)	हैक्टे0	11848.00	2133	12019	101%	A	–

(डी0के0पचौरी)
अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006
सूत्र सं0 3 किसान मित्र
सूत्र सं0–3(ग)क कृषि के लिये सिंचाई सुविधायें – वृहद/माइक्रो सिंचाई

सूत्र से सम्बन्धित माह– मार्च तक वांछित प्रतिशत प्रगति– **A-100%** **B-80%** **C-60%** **माह –03/2008**

क्र0 सं0	मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			उत्तरकाशी					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1364.00	136	1371.214	101%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
2.			चमोली					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1228.00	254.824	1477.828	120%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
3.			टिहरी					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	2248.00	344.400	2350.200	105%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
4.			देहरादून					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	2230.00	1894.600	3943.530	177%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–

5.				**पौड़ी**				
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1700.00	234.000	1730.296	102%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
6.				**रूद्रप्रयाग**				
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	360.00	55.000	373.267	104%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
7.				**हरिद्वार**				
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	228.00	–	235.000	103%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
8.				**गढ़वाल मण्डल**				
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	9358.00	2918.824	11481.335	123%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006
सूत्र सं0 3 किसान मित्र
सूत्र सं0–3(ग)क कृषि के लिये सिंचाई सुविधायें – वृहद/माइक्रो सिंचाई

सूत्र से सम्बन्धित माह– मार्च तक वांछित प्रतिशत प्रगति– **A-100% B-80% C-60%** **माह –03/2008**

क0 सं0	मद/कार्यक्रम का नाम	इकाई	लक्ष्य	मासिक पूर्ति	क्रमिक पूर्ति	उपलब्धि का प्रतिशत	श्रेणी	राज्य में स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			अल्मोड़ा					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1174.000	58.010	1325.350	113%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
2.			बागेश्वर					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	700.000	118.440	742.690	106%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
3.			नैनीताल					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1074.000	144.000	1098.000	102%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
4.			ऊधमसिंह नगर					
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	300.000	59.000	343.000	114%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–

5.	**पिथौरागढ़**							
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1228.000	165.620	1297.186	106%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
6.	**चम्पावत**							
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	1166.000	149.050	1199.620	103%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
7.	**कुमांयूँ मण्डल**							
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	5642.000	694.120	6005.846	106%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–
8.	**उत्तराखण्ड राज्य**							
i	सिंचन क्षमता सृजन–निजी लघु सिंचाई	हैक्टे0	15000.000	3612.944	17487.181	117%	A	–
ii	निर्मित सिंचाई सम्भावनायें	हैक्टे0	–	–	–	–	–	–
iii	अनुशंसित/अनुमोदित योजनायें	संख्या	–	–	–	–	–	–

(डी0के0पचौरी)
अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

नहर निर्माण एवं पुनरोद्धार

माह : 03 / 2008

भौतिक / सिंचन क्षमता (लक्ष्य प्रगति)

क्र0	राजस्व मण्डल / जनपद	वार्षिक लक्ष्य 2007–08			माह 02 / 2008			माह 03 / 2008			माह 03 / 2008 तक की कुल प्रगति			जारी बजट लाख रू0
		भौ0 कि0मी0	थ्संचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	गढ़वाल मण्डल													
1	देहरादून	234.250	275	1037.090	240.280	238	2143.430	112.070	46	872.730	352.350	284	3016.160	3016.200
2	टिहरी	50.800	181	297.480	17.300	163	266.620	27.122	377	195.130	44.422	540	461.750	468.000
3	उत्तरकाशी	47.910	90	278.990	30.820	78	193.410	25.220	12	107.290	56.040	90	300.700	349.730
4	पौड़ी	24.490	7	146.250	39.370	712	170.500	9.490	1	161.250	48.860	713	331.750	331.750
5	रूद्रप्रयाग	48.850	241	407.650	51.860	102	375.620	20.930	65	261.420	72.790	167	637.040	637.040
6	चमोली	25.700	24	167.780	20.650	49	132.790	12.056	5	81.650	32.706	54	214.440	214.200
7	हरिद्वार	9.800	975	100.760	1.380	860	37.750	2.640	115	66.170	4.020	975	103.920	103.920
योग गढ़वाल मण्डल		**441.800**	**1793**	**2436.000**	**401.660**	**2202**	**3320.120**	**209.528**	**621**	**1745.640**	**611.188**	**2823**	**5065.760**	**5120.840**
	कुमांऊ मण्डल													
1	नैनीताल	239.018	1838	1623.950	184.951	1889	1417.060	90.184	615	736.740	275.135	2504	2153.800	2161.700
2	अल्मोड़ा	17.846	152	89.050	29.936	400	119.180	12.160	89	55.830	42.096	489	175.010	173.850
3	बागेश्वर	13.500	117	160.000	20.135	208	111.090	4.600	43	109.040	24.735	251	220.130	220.130
4	उधम सिंह नगर	405.578	1424	1323.860	256.511	1367	1018.170	53.739	488	614.160	310.250	1855	1632.330	1632.300
5	पिथौरागढ़	13.330	165	77.280	43.029	443	144.060	29.350	274	185.090	72.379	717	329.150	329.500
6	चम्पावत	10.800	119	50.500	22.170	344	114.300	10.397	267	55.200	32.567	611	169.500	169.500
योग कुमांऊ मण्डल		**700.072**	**3815**	**3324.640**	**556.732**	**4651**	**2923.860**	**200.430**	**1776**	**1756.060**	**757.162**	**6427**	**4679.920**	**4686.980**
योग – उत्तराखण्ड		**1141.872**	**5608**	**5760.640**	**958.392**	**6853**	**6243.980**	**409.958**	**2397**	**3501.170**	**1368350**	**9250**	**9745.680**	**9807.820**

नलकूप एवं लघु डाल नहरें – निर्माण/पुनरोद्धार
भौतिक/सिंचन क्षमता (लक्ष्य प्रगति)

माह : 03/2008

क0	राजस्व मण्डल /जनपद	वार्षिक लक्ष्य 2007–08			माह 02/2008			माह 03/2008			माह 03/2008 तक की कुल प्रगति			जारी बजट लाख रू0
		न0/भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	न0/भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	न0/भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	न0/भौ0 कि0मी0	सिंचन क्षमता है0	वित्तीय लाख रू0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							गढ़वाल मण्डल							
1	देहरादून	3नं/17.400	225	327.400	2/2.100	225	244.160	5/13.218	175	29.460	7/15.318	400	273.620	273.640
2	टिहरी	–	–	23.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	उत्तरकाशी	–	–	34.100	–	–	14.310	–	–	-0.010	–	–	14.300	14.300
4	पौड़ी	1नं0/3.00	75	175.870	1/–	225	22.800	3/–	75	-0.100	4/–	300	22.700	22.700
5	रूद्रप्रयाग	–	85	238.520	–	45	201.970	1/7.520	40	13.020	1/7.520	85	214.990	214.970
6	चमोली	–		62.900	–	–	16.420	–	–	8.580	–	–	25.000	25.000
7	हरिद्वार	24नं/18.390	1800	368.550	23/–	1575	393.120	-3/24.000	225	160.300	20/24.000	1800	553.420	558.420
योग गढ़वाल मण्डल		**28नं0/38.790**	**2185**	**1230.340**	**26/2.100**	**2070**	**892.780**	**6/44.738**	**515**	**211.250**	**32/46.838**	**2585**	**1104.030**	**1109.030**
							कुमांऊ मण्डल							
1	नैनीताल	43 नं/80.000	3223	1619.430	36/22.620	2737	864.030	5/3.860	385	648.830	41/31.910	3122	1512.860	1735.710
2	अल्मोड़ा	2 नं/20.300	160	242.250	2/1.830	308	239.860	1/3.100	–	58.390	3/14.930	308	298.250	297.880
3	बागेश्वर		91	34.000	-/0.500	91	25.250	1/1.000	–	8.750	1/1.500	91	34.000	34.000
4	उधम सिंह नगर	21 नं/36.000	1515	215.260	12. /19.900	880	189.450	10/11.280	640	25.810	22/31.180	1520	215.260	215.260
5	पिथौरागढ़		-	17.000	–	–	7.520	-/0.300	–	9.480	-/0.300	–	17.000	17.000
6	चम्पावत	2 नं/4.000	150	57.000	1/1.000	65	24.660	1/3.650	85	32.540	2/4.650	150	57.200	57.200
योग कुमांऊ मण्डल		**68नं/120.000**	**5139**	**2184.940**	**51/55.850**	**4081**	**1350.770**	**18/28.620**	**1110**	**783.800**	**69/84.470**	**5191**	**2134.570**	**2357.050**
योग–उत्तराखण्ड		**96नं/158.790**	**7324**	**3415.280**	**77/57.950**	**6151**	**2243.550**	**24/73.358**	**1625**	**995.050**	**101/131.308**	**7776**	**3238.600**	**3466.080**

अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

वित्तीय भौतिक प्रगति (बाढ़ कार्य) राज्य सैक्टर
भौतिक / वित्तीय (लक्ष्य प्रगति)

माह : 03 / 2008

क्र0	मण्डल / जनपद का नाम	कुल स्वीकृत योजनाओं की लागत	3 / 2007 तक व्यय	अवशेष कार्य	02 / 2008 तक	03 / 2008 में	कुल 03 / 2008 तक	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				गढ़वाल मण्डल				
1	छेहरादून	2888.540	1650.460	1238.080	140.220	595.670	735.890	1616.000
2	टिहरी	95.000	25.000	70.000	14.740	252.580	267.320	323.970
3	उत्तरकाशी	319.000	198.000	121.000	122.720	261.700	384.420	385.930
4	पौड़ी	941.990	264.600	677.390	5.000	143.410	148.410	516.000
5	रूद्रप्रयाग	622.620	213.730	408.890	66.070	238.890	304.960	314.560
6	च्मोली	1168.620	54.590	1114.030	3.520	96.340	99.860	152.540
7	हरिद्वार	60.800	15.000	45.800		45.800	45.800	45.800
योग गढ़वाल मण्डल		**6096.570**	**2421.380**	**3675.195**	**352.270**	**1634.390**	**1986.660**	**3354.800**
				कुमांऊ मण्डल				
1	नैनीताल	1699.210	357.150	1342.060	—	81.390	81.390	162.170
2	अल्मोड़ा	369.910	—	369.910	—	—	—	—
3	बागेश्वर	435.920	43.080	392.840	—	43.940	43.940	43.940
4	उधम सिंह नगर	388.250	139.730	248.520	74.030	110.830	184.860	256.340
5	पिथौरागढ़	623.790	142.280	481.510	6.960	57.840	64.800	67.350
6	चम्पावत	—	—	—	—	—	—	—
योग कुमांऊ मण्डल		3517.080	682.240	2834.840	80.990	294.000	374.990	529.800
कुल योग — उत्तराखण्ड		9613.650	3103.620	6510.030	433.260	1928.390	2361.650	3884.600

(डी0के0पचौरी)
अधीक्षण अभियन्ता (नियोजन)
कृते मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष